

अनुसंधान विस्तार केंद्र
RESEARCH EXTENSION CENTRE

(क्षेत्रीय रेशम उत्पादन केंद्र, केंरेअप्रसं, मैसूरु का एकक
A Unit of RSRS, Kodathi & CSR&TI, Mysuru)

केंद्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
Central Silk Board (Ministry of Textiles, Govt. of India)

चिल्लाडगि/Chilawadgi

किन्नल/Kinnal-Post

कोप्पल/KOPPAL – 583 230.

ई-मेल/E-mail : recsukoppal@gmail.com



No: CSB/REC/KPL/PPP/JMK-Mega Clu/Veh/2024-25/

Date: 29.04.2024

To

“By Regd. Post”

Sir,

Sub:- Inviting quotation for hiring of vehicle for **Jamkhandi Mega cluster** development Programme-Reg

The Research Extension Centre, Chilawadgi, Koppal-Dist. is inviting the rate of quotations for hiring of One vehicle for **Jamkhandi Mega cluster** (Bijapur & Jamakhandi clusters) Development Programme activities as per the details given below on monthly basis:-

SI No.	Name of the clusters	Kilometers
01	Bijapur & Jamkhandi	3200 kms (two clusters)

The vehicle is required for a long term programme for the financial year 2024-2025 (July, 2024 to March, 2025) and the following terms and conditions will apply:-

1. Hiring of vehicle is on Kilo Meter basis only.
2. Total no. of days of the vehicle is required in a month-20 days.
3. The monthly maximum usage will be **3200 km.** (One vehicle). However, the number of km may vary and payment will be made based on the number of km used in that month.
4. If usage extends as specified above, will be charged on km basis.
5. The rate quoted shall be per kilometer basis and all inclusive including driver bata, toll fee, taxes etc.,
6. The hired vehicle shall not be older than 5-8 years, should have **yellow board** and also in good running condition.
7. In case of break down, the vehicle shall be replaced in less than 24 hours at the cost of the service provider or will be adjusted on monthly rental of the vehicle.
8. The authority reserves the right to terminate the contract if the services are not satisfactory and hampers the official work.
9. The vehicle shall run from the Head Quarter of the cluster and movement of the vehicle is restricted to only cluster area.
10. The vehicle and the driver should have valid documents such as Aadhar Card/PAN, Valid Driving License, RC Book, Emission Test Certificate, Vehicle Insurance and tax paid etc.,
11. The Competent Authority will finalize on hiring of vehicle.
12. Quotation should be sent by **Registered post/Speed Post only.**
13. The vehicle provider should have bank A/c no. and PAN no. registered under CGST & SGST, TDS (Tax Deduction at Source) will be effected at the time of payment under the rule 194-C of TDS rate chart..
14. After issuing the vehicle approval for hiring, agreement to be made up to **March, 2025 (from July 2024 to March, 2025)** with vehicle provider to provide the vehicle for the agreement period only. If discontinued to provide vehicle, the penal charges to be framed against the vehicle provider @ 10%.
15. The undersigned reserves the right to reject in part or full of any quotation which will not comply with the terms and conditions.

If interested, you may submit the **quotation** in a sealed cover super scribing as “Quotation for Hiring of Vehicle”. The last date for receipt of quotations by Reg. post is up to **2.00 pm on 20.05.2024.** The quotations received after the due date will not be considered. The quotations will be opened on the same day at **3.00 pm.** The quotations should be sent to the address given below by **Registered post only.**

The Scientist-C

Research Extension Centre, Central Silk Board (Govt. of India)
Chilawadgi, Kinnal-Post, KOPPAL-Dist. PIN: 583 230

SCIENTIST-C

वैज्ञानिक- सी / Scientist-C

अनुसंधान विस्तार केंद्र
Research Extension Center

केंद्रीय रेशम बोर्ड / Central Silk Board

किन्नल पोस्ट / Kinnal-Post

कोप्पल / Koppal-583230.

अनुसंधान विस्तार केंद्र
RESEARCH EXTENSION CENTRE
(क्षेत्रीय रेशम उत्पादन केंद्र, केंरेअप्रसं, मैसूरु का एकक
A Unit of RSRS, Kodathi & CSR&TI, Mysuru)
केंद्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
Central Silk Board (Ministry of Textiles, Govt. of India)

चिलवाडगी/Chilawadgi
किन्नल/Kinnal-Post
कोप्पल/KOPPAL - 583 230.
ई-मेल/E-mail : recsukoppal@gmail.com



क्रमांक: सीएसबी/आरईसी/केपीएल/सीपीपी/जेएमके-मेगा क्लु/वाहन/2024-25/

दिनांक: 29.04.2024

को

"रजि. डाक"

महोदय,

विषय: जामखंडी मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए वाहन किराये पर लेने के लिए कोटेशन आमंत्रित करना

अनुसंधान विस्तार केंद्र, चिलावडगी, कोप्पल-जिला। जामखंडी मेगा क्लस्टर (बीजापुर और जमाखंडी क्लस्टर) विकास कार्यक्रम गतिविधियों के लिए मासिक आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन की दर आमंत्रित कर रहा है: -

एसआई संख्या	क्लस्टर का नाम	किलोमीटर
01	बीजापुर और जामखंडी	3200 किलोमीटर (दो क्लस्टर)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (जुलाई, 2024 से मार्च, 2025) के दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए वाहन की आवश्यकता है और निम्नलिखित नियम और शर्तें लागू होंगी: -

1. वाहन किराये पर केवल किलो मीटर के आधार पर है।
2. कुल संख्या. एक माह में वाहन के कितने दिनों की आवश्यकता होती है - 20 दिन।
3. मासिक अधिकतम उपयोग 3200 किमी होगा। (एक वाहन). हालाँकि, किमी की संख्या भिन्न हो सकती है और भुगतान उस महीने में उपयोग किए गए किमी की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
4. यदि उपयोग ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बढ़ाया जाता है, तो किमी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
5. उद्धृत दर प्रति किलोमीटर के आधार पर होगी और इसमें चालक शुल्क, टोल शुल्क, कर आदि सभी शामिल होंगे।
6. किराये पर लिया गया वाहन 5-8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर पीला बोर्ड लगा होना चाहिए और अच्छी चलने की स्थिति में होना चाहिए।
7. वाहन खराब होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता की लागत पर 24 घंटे से कम समय में बदला जाएगा या वाहन के मासिक किराये पर समायोजित किया जाएगा।
8. यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं और आधिकारिक कार्य में बाधा आती है तो प्राधिकरण अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. वाहन क्लस्टर के मुख्यालय से चलेगा और वाहन की आवाजाही केवल क्लस्टर क्षेत्र तक ही सीमित है।
10. वाहन और ड्राइवर के पास वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/पैन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, उत्सर्जन परीक्षण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा और भुगतान किया गया कर आदि होना चाहिए।
11. सक्षम प्राधिकारी वाहन किराये पर लेने पर अंतिम निर्णय लेंगे।
12. कोटेशन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।
13. वाहन प्रदाता के पास बैंक खाता संख्या होनी चाहिए। एवं पैन नं. सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत पंजीकृत, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) टीडीएस दर चार्ट के नियम 194-सी के तहत भुगतान के समय प्रभावी होगा।
14. वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति जारी करने के बाद वाहन प्रदाता के साथ मार्च, 2025 तक (जुलाई 2024 से मार्च, 2025 तक) केवल अनुबंध अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराने का अनुबंध करना होगा। यदि वाहन प्रदान करना बंद कर दिया जाता है, तो वाहन प्रदाता के खिलाफ 10% की दर से दंडात्मक आरोप लगाए जाएंगे।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी कोटेशन को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है जो नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करेगा।

यदि रुचि हो, तो आप एक सीलबंद लिफाफे में "वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन" लिखकर कोटेशन जमा कर सकते हैं। रजि. द्वारा कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। पोस्ट 20.05.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक है। नियत तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएंगी। कोटेशन केवल पंजीकृत डाक द्वारा नीचे दिए गए पते पर भेजे जाने चाहिए।

वैज्ञानिक-सी, अनुसंधान विस्तार केंद्र
सेंट्रल सिल्क बोर्ड (भारत सरकार), चिलवाडगी, किन्नल- पोस्ट, कोप्पल-583 230

वैज्ञानिक-सी / Scientist-C
अनुसंधान विस्तार केंद्र
Research Extension Center

केंद्रीय रेशम बोर्ड / Central Silk Board
किन्नल पोस्ट / Kinnal-Post
कोप्पल / Koppal-583230.